झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–04

पंचदश (बजट) सत्र
बुधवार, दिनांकः–28 फरवरी, 2024 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 5:34 अप० तक।
माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–18

(क) उत्तरित कुल–02	क्र०सं०–60, श्री राजेश कच्छप,	स०वि०स०	
	क्र०सं०–33, श्री ढुलू महतो,	स०वि०स०	(27.02.2024 से स्थगित)
	क्र०सं०–61, सुश्री अम्बा प्रसाद,	स०वि०स०	
(ख) स्थगित कुल–01	क्र०सं०–62, श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की,	स०वि०स०	(दिनांक–29.02.2024 हेतु)
(ग) अनागत कुल–15	क्रम संख्या–63 से 77 तक।		

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–36

(क) उत्तरित कुल–04	क्र०सं०–21, श्री कोचे मुण्डा	स०वि०स०	(27.02.2024 से स्थगित)
	क्र०सं०–44, श्री नलिन सोरेन	स०वि०स०	
	क्र०सं०–45, श्री रामचन्द्र सिंह	स०वि०स०	
	क्र०सं०–46, श्री कमलेश कुमार सिंह	स०वि०स०	
	क्र०सं०–49, डॉ० लम्बोदर महतो	स०वि०स०	
(ख) अपृष्ठ–02	क्र०सं०–47, श्री विनोद कुमार सिंह	स०वि०स०	
	क्र०सं०–48, श्री राज सिन्हा	स०वि०स०	
(ग) स्थगित कुल–01	क्र०सं०–50, श्री रामवन्द्र चन्द्रवंशी	स०वि०स०	(दिनांक–29.02.2024 हेतु)
(घ) अनागत कुल–29	क्र०सं०–51 से 79 तक।		

2. सूचना दिया जाना

प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न माननीय सदस्यों के द्वारा निम्न सूचनायें दी गयीः–

1. श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० ने सूचना देते हुए बताया कि माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो धरना पर बैठे हैं, उन्हें सदन में बुला लिया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि मनरेगा, जमीन घोटाला, मनी लांड्रिंग के साक्ष्य मिले हैं, इससे संबंधित प्रश्न का जवाब सदन को गुमराह करने वाला है। यह विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है।

   तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष महोदय ने संज्ञान लेते हुए कहा कि जवाब से असंतुष्ट हैं, तो लिखकर दें। साथ ही आसन से श्री रामचन्द्र सिंह, स०वि०स० एवं श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० से आग्रह किया कि वे माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो को ससम्मान सदन में लेकर आयें।

2. श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 ने सूचना दिया कि महामहिम राज्यपाल ने आरक्षण विधेयक वापस कर दिया है।
3. श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 ने सूचना दिया कि महामहिम का बयान आता है कि 77 प्रतिशत आरक्षण अवैध है, जबकि बगल के बिहार राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण संबंधी विधेयक को माननीय राष्ट्रपति के पास अग्रसारित किया गया। यह केन्द्र सरकार के इशारे पर किया जा रहा है।
4. श्री ढुलू महतो ने सदन में सूचना दिया कि धनबाद के पूर्व वरीय आरक्षी अधीक्षक, संजीव कुमार के कार्यकाल में अवैध माइनिंग के दौरान अ0ज0जाति के लोगों की मौत हुई, जेल के अंदर हत्या हुई, जो नए आरक्षी अधीक्षक के कार्यकाल में थम गई है। विधान सभा की समिति बनाकर या किसी स्वतंत्र एजेंसी से इसकी जांच करायी जाय।
5. व्यवस्था के प्रश्न पर माननीय मंत्री श्री मिथिलेश ठाकुर ने नेता, प्रतिपक्ष द्वारा कहे गए असंसदीय शब्द के लिए उन्हें खेद व्यक्त करने एवं सदन में माफी मांगने हेतु निदेशित करने का आसन से आग्रह किया, जिसपर आसन से निदेश दिया गया कि अभी नेता, प्रतिपक्ष सदन में नहीं हैं। वे रहेंगे तब आप अपनी बात रखेंगे।

   इसी क्रम में आसन से इस संबंध में नियमन हुआ कि उस शब्द को Expunge किया जा चुका है, असंसदीय भाषा नहीं निकालना चाहिए। विधान सभा के अंदर ऐसी किसी शब्द का इस्तेमाल न हो, जो संसदीय भाषा की परिधि में नहीं आता हो।
6. श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0 ने सूचना के माध्यम से कहा कि जेपीएससी से सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति हुई, पी0एच0डी0 की अनिवार्यता के कारण शिक्षकों को वेतनवृद्धि नहीं मिल रही है।

(अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर देने का आग्रह करते हुए माननीय सदस्यगण सर्वश्री ढुलू महतो, बिरंची नारायण एवं जयप्रकाश भाई पटेल, कुछ क्षण के लिए वेल में आए, तत्पश्चात् आसन के आश्वासन पर अपने स्थान पर आकर बैठ गए।)

3. कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

माननीय सदस्य डॉ0 लम्बोदर महतो द्वारा राज्य में जंगलों की अंधाधुन्ध कटाई पर रोक एवं जंगली हाथियों के द्वारा जान–माल, घरों एवं फसलों की क्षति का मुआवजा राशि भुगतान करने, माननीय सदस्य डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता द्वारा पलामू जिलान्तर्गत जल जीवन मिशन योजना से निर्माणाधीन पेयजल आपूर्ति योजना निर्माण में गड़बड़ी तथा माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा राज्य सरकार द्वारा यहाँ के अनुभवी एवं पूर्व के विभिन्न संवर्गों में कार्यरत कर्मियों के स्थायी समायोजन करने संबंधी विषय पर दी गयी कार्यस्थगन की सूचनाऐं चलते सत्र में चर्चा संभव होने के कारण इन सूचनाओं को अमान्य किया गया।

4. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत् आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनायें निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा पढ़ी गयी:–

सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0
डॉ0 इरफान अंसारी	स0वि0स0
श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0
श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0
श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0
श्री भूषण बड़ा	स0वि0स0
श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0
श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0
श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की स0वि0स0
श्री समीर कुमार मोहन्ती स0वि0स0
श्री संजीव सरदार स0वि0स0
डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0
डॉ0 कुशवाहा शशिभूषण मेहता स0वि0स0
श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह स0वि0स0
श्री ढुलू महतो स0वि0स0
श्री नारायण दास स0वि0स0
श्री दशरथ गागराई स0वि0स0
श्री अमित कुमार यादव स0वि0स0
श्री अनन्त कुमार ओझा स0वि0स0
श्री अमित कुमार मण्डल स0वि0स0
श्री प्रदीप यादव स0वि0स0 (माननीय सदस्य के अनुरोध पर पढ़ा हुआ मान लिया गया।)
श्री मनीष जायसवाल स0वि0स0
श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स0वि0स0 (माननीय सदस्य के अनुरोध पर पढ़ा हुआ मान लिया गया।)

सूचनाः— श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 ने सूचित किया कि हजारीबाग में उर्दू विद्यालय की जमीन भूदान से प्राप्त है। उक्त स्थान पर 35 फीट ऊँची मीनार बनाकर एक समुदाय विशेष द्वारा अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण मुक्त कराने का आग्रह किया गया।

5. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् हैः–

i. श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

iii. डॉ0 लम्बोदर महतो, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ।

iv. श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दिनांक–**29.02.2024** के लिए स्थगित।

(अन्तराल)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

6. वित्तीय कार्य

अन्तराल के बाद वित्तीय वर्ष 2024–25 के आय–व्ययक पर चर्चा में भाग लिये जाने हेतु दलगत समय आवंटन की घोषणा आसन से की गयी। तत्पश्चात् आसन की अनुमति से श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0 ने बजट पर वक्तव्य देना प्रारम्भ किया। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लियाः–

श्री केदार हजरा
(इस अवसर पर माननीय सभापति श्री रामचन्द्र सिंह ने आसन ग्रहण किया)
श्री राजेश कच्छप
श्री सुदेश कुमार महतो

श्री प्रदीप यादव

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(सभा की सहमति से सदन की कार्यवाही की अवधि सभा की समाप्ति तक बढ़ायी गयी।)

श्री विनोद कुमार सिंह

श्री अमित कुमार यादव

श्री समीर कुमार मोहन्ती

डॉ0 नीरा यादव

श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की

(बजट पर सामान्य वाद–विवाद के क्रम में श्री अनन्त कुमार ओझा ने सूचना दिया कि सारठ के बच्चा को तमिलनाडु में बंधक बनाकर रखा गया है। इसे संज्ञान में लेकर उसे वापस लाने की व्यवस्था की जाए।)

इसके उपरांत सरकार की ओर से डॉ0 रामेश्वर उराँव, माननीय मंत्री, वित्त विभाग द्वारा उत्तर दिया गया।

(सरकार के उत्तर के क्रम में 5:16 बजे अप0 में विपक्षी सदस्यों ने सदन से वहिर्गमन किया।)

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक–29 फरवरी, 2024 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

राँची,
दिनांक–28 फरवरी, 2024